





प्ररूप संख्या 5 FORM NO.5

राजस्थान सरकार

Government of Rajasthan

आर्थिक एवम् सांख्यिकी निदेशालय

Directorate of Economics & Statistics जन्म प्रमाण पत्र

BIRTH CERTIFICATE

(जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 12/<mark>17 और</mark> राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2000 के नियम 8/13 के अधीन जारी किया गया) Issued under Section 12/17 of the Registration of Births and Deaths Act ,1969 and Rule 8/13 of the Rajasthan Registration of Births and Deaths Rules,2000)

यह प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित सूचना जन्म के मूल अभिलेख से ली गई है जो कि (स्थानीय क्षेत्र/स्थानीय निकाय) सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देसूरी तहसील/खण्ड देसूरी जिला पाली राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राजस्थान, भारत का रजिस्टर है |

This is to certify that the following information has been taken from the original record of birth which is the register for (local area/local body) **CHC DESURI** of Tehsil/Block **DESURI** of District **PALI** of State/Union Territory **RAJASTHAN, INDIA**

नाम/Name: PRIYA CHOUDHARY/ प्रिया चौधरी

जनम तिथि /Date of Birth : 29/04/2014

माता का नाम/Name of Mother : तक्ष्मी / LAXMI

पिता का नाम/Name of Father : मोहन लाल चौधरी / MOHAN LAL CHOUDHARY

बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता

माता पिता का स्थायी पता

Address of parents at the time of birth of the child

Permanent address of the parents

लिंग/Sex : महिला / FEMALE

जनम स्थान/Place of Birth: राजकीय सामदायिक स्वास्थ्य

केन्द्र, देसुरी / COMMUNITY HEALTH CENTER.

नाडोल NADOL नाडोल NADOL

DESURI

रजिस्टीकरण संख्या/Registration No: 08118006030005300090/2014

टिप्पणि/Remarks (if any) :

रजिस्ट्रीकरण की तारीख/Date of Registration

:29/04/2014

' जारी करने की तारीख / Date of Issue : 13/05/2014

जारी करने वाले प्राधिकारी का पन्ता A के प्राधिकारी authority जारी करने वाले प्राधिकारी का पन्ता A के प्राधिकारी के authority

मुहर/seal

नोटः "बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता" एवम "माता पिता को स्थायी पता" के कालमों से सम्बन्धित सूचनाए 01/01/2007 से पूर्व लागू नही थी।

Note: Information in respect of the columns "Present address of parents at the time of birth of the child" and "Parmanenet address of parents" were not applicable before 01/01/2007